भारत सरकार
संसदीय कार्य मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या - 1635
दिनांक 30/07/2025 को उत्तर के लिए

राष्ट्रीय ई-विधान एप्लीकेशन

1635. श्री जशुभाई भिलुभाई राठवाः
श्री प्रदीप कुमार सिंहः
श्री विजय बघेलः
श्रीमती कमलजीत सहरावतः
श्री अनुराग सिंह ठाकुरः

क्या **संसदीय कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) राष्ट्रीय ई-विधान एप्लीकेशन (नेवा) में विभिन्न राज्य विधानमंडलों में भाषाई समावेशिता बढ़ाने के लिए जोड़ी गई तकनीकी विशेषताओं का ब्यौरा क्या है;
(ख) सार्वजनिक निवेश बोर्ड द्वारा नेवा परियोजना के लिए स्वीकृत कुल बजट कितना है और उक्त परियोजना के कार्यान्वयन के लिए क्या वित्तीय मॉडल अपनाया गया है;
(ग) अब तक कितने राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों ने नेवा परियोजना को अपनाने के लिए समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए हैं; और
(घ) कितने राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों ने जून, 2025 तक अपने विधानमंडलों को पूरी तरह से डिजिटल विधान सभाओं में बदल दिया है?

उत्तर
विधि एवं न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार);
तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री अर्जुन राम मेघवाल)

(क) विभिन्न राज्यों के विधानमंडलों में भाषाई समावेशिता बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय ई-विधान एप्लीकेशन (नेवा) में निम्नलिखित तकनीकी विशेषताओं को जोड़ा गया है:-

- नेवा सार्वजनिक पोर्टलों (मुख्यपृष्ठ और राज्यों की विधान सभाओं के पोर्टल) के 22 अनुसूचित क्षेत्रीय भाषाओं और अंग्रेजी में अनुवाद हेतु भाषिणी के माध्यम से टेक्स्ट-टू-टेक्स्ट मशीन अनुवाद को एकीकृत किया गया है, ताकि भाषाई समावेशिता सुनिश्चित हो सके।

- एप्लीकेशन की कंटेंट प्रबंधन प्रणाली (सीएमएस) के भीतर अंतर्संचालनीयता सुनिश्चित करने और बहुभाषाई पहुंच को संभव बनाने के लिए समस्त कंटेंट इनपुट, भंडारण और पुनर्प्राप्ति हेतु यूनिकोड आधारित एनकोडिंग संरचना का उपयोग किया जाता है।

(ख) लोक निवेश बोर्ड 673.94 करोड़ रुपये की कुल लागत के साथ नेवा परियोजना को अनुमोदित कर चुका है। परियोजना के तहत केन्द्र प्रायोजित योजना (सीएसएस) के पैटर्न पर निम्न प्रकार वित्त पोषण उपलब्ध कराया जाता है:-

- पूर्वोत्तर और पहाड़ी राज्यों के लिए वित्त पोषण 90:10 के अनुपात में होगा।
- विधानमंडल वाले संघ राज्य क्षेत्रों में 100% वित्त पोषण केंद्र द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा।
- अन्य सभी राज्यों के लिए वित्त पोषण 60:40 के अनुपात में होगा।

(ग) कुल 28 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के विधानमंडल नेवा को अपनाने के लिए समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर कर चुके हैं।

(घ) जून 2025 तक, 19 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के विधानमंडल नेवा प्लेटफॉर्म के माध्यम से स्वयं को पूर्णतः डिजिटल विधान सभाओं में सफलतापूर्वक परिवर्तित कर चुके हैं।

*****